न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 33/2021

श्री भरतराज पुत्र श्री रामलाल मीणा निवासी नवाबपुरा तहसील व जिला टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11–11–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 31–08–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

1 सिवायचक भूमि पर किसका अधिकार है

2 सिवायचक जमीन को किसी संस्थान, स्कूल, शमशान आदि के नाम अलॉटमेन्ट करने से पूर्व क्या ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, यदि आवश्यक होतो किस कानून के तहत, पतिलिपि देवें।

3 यदि किसी सिवायचक भूमि को निर्विवाद रूप से काम में लिया जाता आ रहा हो तो कितने वर्षो बाद उस जमीन पर गांव, संस्थान या व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, कानून की प्रतिलिपी उपलब्ध करवावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा पत्र क्रमांकः एफ 12( )राजस्व/आर.टी.आई/2021/6156 दिनांक 29–10–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना इस कार्यालय के पत्रांक 5267 दिनांक 24.09.2021 द्वारा अपीलार्थी को जरिये डाक से सूचित किया जा चुका है, जिसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के सम्बन्ध में जवाब दिया जा चुका हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:52:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक